न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 136 / 2006 **दायर दिनांकः 09.11.2006**

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र भोलूनाथ जाति नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. प्रेम आयु 35 वर्ष पुत्र मोतीनाथ जाति नाथ निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. रामेश्वर आयु 30 वर्ष पुत्र मोतीनाथ निवासी सांगोद जिला कोटा राज0।
3. देवीशंकर आयु 23 वर्ष पुत्र मोतीनाथ निवासी सांगोद जिला कोटा राज0।
4. भूरी बाई आयु 26 वर्ष पुत्री मोतीनाथ निवासी सांगोद जिला कोटा राज0।
5. धन्नीबाई बेवा मोतीनाथ निवासी सांगोद सी0ओ0 देवीशंकर पुत्र मोतीनाथ निवासी सांगोद जिला कोटा राज0।
6. जगदीश आयु 31 वर्ष पुत्र गोपाल जाति नाथ निवासी फलिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां।
7. अयोध्या बाई बेवा गोपाल जाति नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
8. बृजमोहन आयु 28 वर्ष पुत्र चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र जाति नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. मुरली आयु 25 वर्ष पुत्र चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र जाति नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
10. गुलाब बाई बेवा चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र जाति नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री शरद कुमार शर्मा प्रति0 क्रम 1 लगा 5
विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी प्रति0 क्रम 6 लगा 7
विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल प्रति0 क्रम 8 लगा 10

निर्णय

दिनांक 19/10/2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां में वादी तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 10 के पूर्वजों के खाते एवं कबजे काश्त की आराजी पुराना ख0नं0 908 का रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 75 का रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 68 का रकबा 9 बीघा, ख0नं0 27 का रकबा 33 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 की 51 बीघा 2 बिस्वा आराजीयात स्थित थी। इस आराजीयात के अलावा पुराना ख0नं0 98 का रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा और स्थित थी इस तरह से कुल आराजीयात 53 बीघा 14 बिस्वा स्थित थीं उक्त सम्पूर्ण आराजीयात बालानाथि पुत्र ग्यारसी नाथ जाति नाथ निवासी आटोन तहसील अअरू जिला बारां के खाते थी। जिसका बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 निम्न प्रकार से बनाया है। ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0, ख0नं0 2.43 है0, ख0नं0 96 का रकबा 1.46 है0, ख0नं0 107 का रकबा 1.42 है0, ख0नं0 136 का रकबा 0.42 है0, ख0नं0 1358 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 45/1860 का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 45/1869 का रकबा 1.33 है0 बनाये गये है। वाद पत्र के साथ में पुरानी जमाबन्दी, नकल नामान्तरण, नकल मिलान क्षेत्रफल, तथा नकल नवीन जमाबन्दी कुल किता 10 पेश है। जो काबिल गौर है। वादी तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 10 का सजरा निम्न प्रकार से है–

हीरानाथ पुत्र बालानाथ के कोई औलाद नहीं होने की वजह से हीरानाथ द्वारा अपने जीवन काल में अपने भाई भोलूनाथ के लडके चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र को गोद रखा था। जिसका भी स्वर्गवास हो गया हैं जिसके वारिसान प्रतिवादीगण क्रम 8 लगा 10 हे। इसी तरह से किशननाथ तथा उसके लडके मोतीनाथ का भी स्वर्गवास हो गया है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण का भी स्वर्गवास हो गया है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 है इसी तरह से गोपाल का भी स्वर्गवास हो गया है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण क्रम 6, 7 है। जैसा कि सजरा में अंकित है। मात्र वादी बाबूलाल ही बाबूलाल ही पुरानी पीढी में जिवित है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी पैतृक आराजी थी। जिस पर सभी सहखातेदारान का बराबर, बराबर का हक था। प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 के पिता तथा पति मोतीनाथ पुत्र किशननाथ द्वारा वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात में से

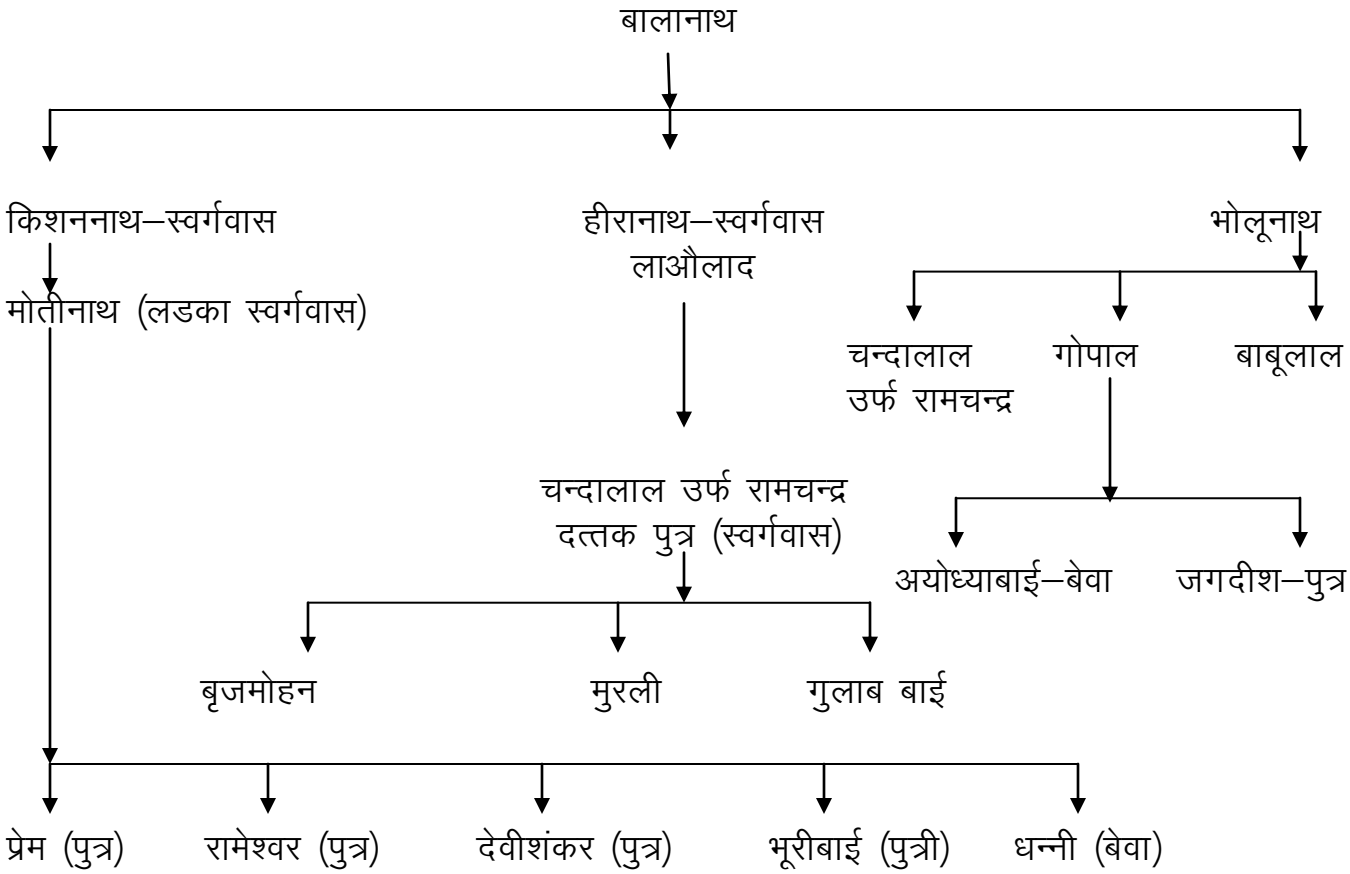

अपना सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात 2.70 है0 17 बीघा के लगभग आराजी का बेचान ख0नं0 27 का रकबा 33 बीघा 6 बिस्वा में से किया था। जिसका नया ख0नं0 45/1860 का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 47 का रकबा 2.43 है0 बजरंगलाल पुत्र सूरजमल जाति धाकड निवासी आटोन तहसील अटरू के खाते व कब्जे काश्त में चला आ रहा है। इसी तरह से हीरालाल के दत्तक पुत्र चन्दालाल उर्फ रामच्न्द्र ने तथा उसके वारिसान प्रतिवादीगण क्रम 8,9,10 ने ख0नं0 27 का रकबा 33 बीघा 6 बिस्वा में से 8 बीघा 10 बिस्वा का बैचान नन्दकिशोर, रामचरण पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी भैंसडा को कर दिया है। जिसका नवीन ख0नं0 45/1869 का रकबा 1.33 है0 है। बाकि 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि अभी भी प्रतिवादीगण 8, 9, 10 के स्वामित्व एवं कब्जक काश्त में है। इसी तरह से गोपाल द्वारा उसका हिस्सा 8 बीघा 10 बिस्वा का बैचान जगदीश पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड निवासी आटोन को कर दिया था। जिसका नवीन ख0नं0 96 का रकबा 1.46 है0 है। इस तरह से वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में से ख0नं0 107 का रकबा 1.42 है0 बचता है। जो प्रतिवादीगण क्रम 8, 9, 10 के अलग से खाते दर्ज है। शेष रकबा खाता संख्या 449 का ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 और बचा है जो वादी के स्वामित्व का कब्जे काश्त का हक बचता है। जिस पर पिछले 35 वर्षों से

वादी ही काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 पर सभी प्रतिवादीगण का नाम खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और खाते में वर्तमान में नाम दर्ज होने का प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाकर वादी के स्वामित्व तथा कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। उक्त आशय की धमकी प्रतिवादी क्रम 8, 9 ने दिनांक 15.07.2006 को दी थी और कहा की या तो जमीन दे दो या उसके बदले में पैसे दे दो। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये और वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादी अपने हक–हकूकों से अपने स्वामितव एवं कबजे काश्त की आराजी से वंचित हो जावेगां जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेको वाद विवादों में उलझना पडेगा। इस वजह से वादी वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि आराजी खाता संख्या 449 का ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू पर से प्रतिवादीगण का नाम खाते में से हआया जाकर उक्त आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे िकवह वादी को आराजी ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 को शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे अगर दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर लेवे तो उन्हे बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावे। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 11 राजस्थान सरकार को धारा 80 सीपीसी का रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित कर दिया है। लेकिन प्रतिवादीगण अपना खाते में नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजी ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। इस वजह से वाद आवश्यक प्रकृति का होने कि वजह से वाद नोटिस कि अवधि समाप्त हुये बिना धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की सुनवाई की जावे। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.07.2006 को फसल सोयाबीन काटने पर आमदा होने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने की वजह से तथा वाद घोषणा का होने की वजह से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र

पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि –

(अ) वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 449 का ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 वाकेय ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू में से सभी प्रतिवादीगण का नाम खाते में से हआया जाकर वादी को उक्त आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह वादी को उसके स्वामित्व की आराजी ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 को शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे। अगर दौराने वाद प्रतिवादीगण कब्जा कर लेवे तो उन्हे बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात ग्राम आटोन में होना स्वीकार है शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 में अंकित सजरे में रामचन्द्र का दत्तक पत्र होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 का विवरण अस्वीकार है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज खाता है। वाद पत्र की मद नं0 5 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 11 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 12 अस्वीकार है। अनुतोष वादी अ, ब, स अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां मय प्रतिवाद पत्र

प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता एवं पति मोतीनाथ का स्वर्गवास होने के बाद नामान्तरण संख्या 86 से दिनांक 17.10.2008 को प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 में दज्र हो चुका है तथा वत्रमान में मुताबिक हिस्सा काबिज काश्त हे तथा शान्तीपूव्रक काश्त करते चले आ रहे है। ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का हिस्सा 1/2 दर्ज है उक्त सम्पूर्ण आराजी को वादी अकेला अपने खाते दर्ज नहीं करा सकता क्योंकि हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 5

काबिज है। प्रतिवाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी के हिस्सा 122 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 विभाजन करवा कर पृथक से अपने खाते दर्ज करवा कर वादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने के अधिकारी हे िकवह ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 के हिस्सा 122 को शान्ती पूर्वक काश्त करने दवे इस हेतु यह प्रतिवाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रतिवाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन हैि क वादी का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 का विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्सा पृथक से प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किया जाकर वादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे िकवह आराजी के हिस्सा 1/2 को शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे।

प्रतिवादी क्रम 6 व 7 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 का विवरण स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित तथ्य गोपाल के वारिस प्रतिवादी क्रम 6 व 7 होना स्वीकार है शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 का विवरण अस्वीकार है, वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 11 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 12 अस्वीकार है। अनुतोष वादी अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां

प्रतिवादी क्रम 6 व 7 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में ख0नं0 136 का रकबा 0.42 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जो प्रतिवादी क्रम 6 व 7 की दादी एवं सास ने क्रम 6 व 7 को दी थी यह भूमि तभी से प्रतिवादी क्रम 6 व 7 के कब्जे काश्त में चली आ रही है जिस पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है इस आराजी बाबत वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 8, 9, 10 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित तथ्य ग्राम आटोन में कुल आराजीयात 53 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित होना स्वीकार है। जिसके मुताबिक मिलान क्षेत्रफल नवीन जमाबन्दी किता 10 होना स्वीकार है। लेकिन वाद पत्र में समस्त नवीन ख0नं0 अंकित नहीं किये है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित सजरा स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 में वर्णित तथ्य प्रति0 क्रम 8, 9, 10 के हिस्से में 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित होना स्वीकार है । शेष विवरण की जानकारी नहीं होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 में वर्णित तथ्य जिस तरह लिखे गये है स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 8 में वर्णित तथ्य कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 11 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 12 कानूनी है। प्रार्थना वादी स्वीकार नहीं है।

विशेष विवरण

वादी ने वाद पत्र की मद नं0 1 में पुराने ख0नं0 के नये नं0 10 होना बताया है जबकि वाद पत्र की मद नं0 1 में नये नं0 8 ही अंकित किये है। समस्त नये नम्बरों का विवरण के अभाव में वादी का वाद खारिज होने योग्य है। वादी ने वाद पत्र की मद नं0 1 में कुल भूमि 53 बीघा 14 बिस्वा बालानाथ के खाते में दर्ज होना अंकित किया है। उसके अनुसार किशननाथ, हीरानाथ व भोलूनाथ के 1/3–1/3 हिस्सा होने से हीरानाथ के हिस्सेमें लगभग 18 बीघा भूमि आती है। प्रतिवादी क्रम 8, 9, 10 द्वारा मुताबिक वाद पत्र की मद नं0 5 में 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्वयं के कब्जे काश्त में होना अंकित किया है। वादी द्वारा मुताबिक वाद पत्र की मद नं0 5 के अनुसार बजरंगलाल पुत्र सुरजमल, नन्दकिशोर, रामचरण, जगदीश पुत्र बजरंगलाल को भूमि खातेदारान द्वारा बेचना अंकित किया है। इस सभी क्रेताओं को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वादी का वाद खारिज होने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

3. वादी द्वारा जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया गया कि जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 1 जिस तरह से लिखा है स्वीकार नहीं है। क्योंकि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी प्रेत्रिक सम्पत्ति है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 2 स्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 3 स्वीकार नहीं है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 4 अस्वीकार

है। क्योंकि प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 का पिता मोतीलाल अपने हक अधिकार से भी ज्यादा आराजी का बेचान कर चुका है। प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 5 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 6 अस्वीकार है। जवाब दाव मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 7 अस्वीकार है। जवाब दाव मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 8 भी स्वीकार है। जवाब दाव मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 9 अस्वीकार है। जवाब दाव मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 10 स्वीकार है। जवाब दाव मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 11 स्वीकार है। जवाब दाव मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0 12 अस्वीकार है। जवाब दाव मय प्रतिवाद पत्र का मद नं0ब 13 अस्वीकार है।

विशेष विवरण मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब

विशेष आपत्तियों का मद नं0 1 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है। उनका कब्जा कभी भी उनके जीवनकाल में नहीं रहा है। तगि प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 का पिता मोतीलाल वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से 21 बीघा से भी अधिक आराजी का बेचान कर चुका है। जबकि उनका हिस्सा 13 बीघा के लगभग बनता था। विशेष आपत्तियों का मद नं0 2 भी अस्वीकार है क्योंकि ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 आराजी को वादी ही जन्म से काश्त कर रहा है। तथा उक्त आराजी वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का नाम तो खाते में गलत दर्ज हो गया है। जो खारिज होने काबिल है। तथा कब्जा भी प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा0 5 का नहीं है। विशेष आपत्तियों का मद नं0 3 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 के उक्त उनवान के वाद में वर्णित आराजी पर कोई हक अधिकार शेष नहीं बचे है। इस वजह से प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र खारिज फरमाया जावे। विशेष आपत्तियों का मद नं0 4 स्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में वादी जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन करता है कि प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 का प्रतिवाद पत्र खारिज फरमाया जावे। तथा वादी का वाद डिक्री फरमाते हुये। वादी को ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को शान्तीपूर्वक काश्त करने देवे।

4. दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1– आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित कुल आराजीयात 53 बीघा 14 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की थी और है।

वादी

तनकी नं0 2– आया चन्दालाल उर्फ रामचन्द हीरानाथ के वादी गोद गया था तथा प्रतिवादी कम 1 लगा 5 के पिता मोतीलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान कर दिया इसी तरह से हीरानाथ के दत्तक पुत्र चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र भी अपना हिस बेचान कर चुका है। इसी तरह से गोपाल द्वारा भी अपना हिस्सा बेचान कर दिया।

वादी

तनकी नं0 3– आया वादी के अलावा सभी सहखातेदारान द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया है उनका नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 449 का ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 में से खातेदारान का नाम हटवाकर अपने नाम उक्त आराजी खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

वादी

तनकी नं0 4– आया प्रतिवादी कम 1 लगा 5 का राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा काबिज है इस वजह से विभाजन किया जाकर 1.36 है0 में से 1/2 हिस्सा प्रति0 कम 1 लगा 5 के अलग से खाता दर्ज किया जावे तथा वादी को पाबन्द किया जावे।

प्रति0 कम 1 लगा 5

तनकी नं0 5– आया ख0नं0 136 का रकबा 0.42 है0 भूमि प्रतिवादी कम 6, 7 के स्वामित्व एवं कब्जे की है जिस पर वादी कोई अनुतोष नहीं प्राप्त कर सकता है।

प्रति0 कम 6 व 7

तनकी नं0 6– दादरसी

5. साक्ष्यवादी के तहत pw 1 बाबूलाल पुत्र भोलूनाथ जाति नाथ निवासी आटोन का शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ गवाह बयान दर्ज किये गये। ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां में मुझ वादी के तथा प्रतिवादी कम 1 लगा 10 के पूर्वजों के शामलाती खाते कि आराजी 53–54 बीघा के लगभग थी यह आराजी हमारे दादा बालानाथ के खाते की थी बालानाथ के तीन लडके किशननाथ, हीरानाथ, भोलूनाथ थे किशननाथ का लडका मोतीनाथ था जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिश प्रतिवादी कम 1 लगा 5 है। तथा हीरानाथ द्वारा मेरे भाई चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र को गोद लिया था और एक भाई गोपाल था जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है। अब एक मात्र में ही मेरे पिता भोलूनाथ के वारिश हूॅ। जो दावा मैने किया है। उसमें सारी प्रेत्रिक

सम्पत्ति है। उक्त सम्पति में मेरा स्वयं का 1/3 का 1/ हिस्सा बनता है। अर्थात 1/6 हिस्सा 9 बीघा के लगभग मेरा है। मेरे पिता के भाई मोतीलाल पुत्र किशननाथ जो प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 का पिता था। ने अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा 2.70 है0 आराजी आज से करीब 35–40 वर्ष पूर्व जर्ये रजिस्टर्ड विक्रेता विलेख द्वारा बैचान बजरंगलाल पुत्र सूरजमल जाति धाकड निवासी आटोन को कर दिया है। इसी तरह से हीरालाल के दत्तक पुत्र चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र द्वारा भी करीब 9 बीघा का बेचान नन्दकिशोर, रामचरण, पिसरान, भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी भैंसडा को कर दिया है। इसी तरह से मेरे भाई गोपाल द्वारा 8 बीघा 10 बिस्वा का बैचान जगदीश पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड निवासी आटोन को कर दिया है। अब मात्र पुराने खाते में से अर्थात 53 बीघा में से खाता संख्या 449 का ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 शेष बचा हुआ है जिसको मे मेरे पिताजी के समय से ही काश्त करता चला आ रहा हूॅ और ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 ही मेरे हिस्से में आया था लेकिन वर्तमान खाते में मोतीनाथ के वारिसान का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज है। इसी तरह से गोपालनाथ के वारिसान का नाम दर्ज है। व रामचन्द्र उर्फ चन्दालाल के वारिसान का नाम दर्ज है। जबकि ये सभी अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान कर चुके है। मैने खाते में से इनका नाम हटाने कि कहां तो उन्होने खाते में से नाम हटाने से साफ मना कर दिया और जमीन पर जबरन कब्जा करने कि धमकि दी और जमीन बैचने की धमकी दी जब कि प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 ता सांगोद रहते है। इस वजह से मैने यह दावा किया है और में अब यह चाहता हूॅ कि आराजी खाता संख्या 449 का ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू पर से प्रतिवादी क्रम 1 लगा 10 के नाम खाते में से राजस्व रिकार्ड में से हटाया जाकर उक्त आराजी पर मुझ वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगा 10 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि मुझ वादी को ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 पर शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे।

जिरह वकील प्रतिवादी श्री भगवान स्वरूप मंगल द्वारा जिरह की गई।

Pw 2 परसराम पुत्र जगन्नाथ जाति नाथ निवासी फलिया अमलावदा तहसील छीपाबडौद का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने बताया कि मैं बाबूलाल नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू को जानता हूॅ तथा प्रेमशंकर वगै0 को भी अच्छी तरह से जानता हॅ तथा में इनके पूर्वजो को भी जानता हूॅ। बाबूलाल नाथ के पिताजी का नाम भोलू नाथ था जो तीन भाई थे एक भाई का नाम हीरा नाथ था तथा दूसरे भाई का नाम किशन नाथ था तथा इस तीनों भाईयों के पिताजी का नाम बाला नाथ था इनके खाते में 50–55 बीघा के लगभग जमीन थी जिसमें से बाबूलाल नाथ का एक खेत जो 9 बीघा के लगभग होगा उसको वह अपने पिताजी के समय सही ही काश्त कर रहा है तथा

बाबूलाल नाथ के भाई रामचन्द्र उर्फ चन्दालाल को हीराना नाथ ने गोद लिया था जिसकी जानकारी हमारे समाज को तथा गावं को है, मेरे को भी है तथा बाबूलाल नाथ के एक भाई और था जिसका नाम गोपाल था वह लाऔलाद फोत हो चुका है इस तरह से बाबूलाल नाथ के हिस्से में जो 9 बीघा खेत आया है वह उसके खाते बांध दिया जावे। बाबूलाल नाथ का इस 9 बीघा खेत को बाबूलाल नाथ के पिताजी ही देकर गये थे और उन्होने कहा था कि यह तेरे हिस्से का खेत है।

pw 3 परमानन्द पुत्र देवीलाल जाति नाथ निवासी आटोन का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने बताया कि मैं बाबूलाल नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू को जानता हूँ तथा इसके पिताजी भोलू नाथ को भी जानता हूं। बाबूलाल नाथ तीन भाई थे जिसनमें से एक भाई का स्वर्गवास हो चुका है तथा एक भाई रामचन्द्र उर्फ चन्दालाल हीरा नाथ के गोद चल गया है तथा बाबूलाल नाथ उसके पिताजी के जीवनकाल से ही एक 9 बीघा खेत को काश्त कर रहा है जो वह उसके पिताजी के जीवनकाल से ही काश्त कर रहा है। यह 9 बीघा खेत मैंने देख रखा है जो वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू में स्थित है जिसको बाबूलाल नाथ आटोन पिछले 40 वर्षों से काश्त कर रहा है। यह 9 बीघा खेत बाबूलाल नाथ के खाते बांध दिया जावे।

6. तहसीलदार अटरू से ग्राम आटोन की विवादित आराजी ख0नं0 45 रकबा 1.36 है0 की मौके के कब्जे काश्त की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक 2567 दिनांक 14.10.2022 द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड अनुसार बाबूनाथ पुत्र भोलूनाथ, प्रेमचन्द पुत्र मोतीनाथ वगैराह के खाते दर्ज है जबकि मौके पर बाबूनाथ पुत्र भोलूनाथ निवासी आटोन का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त ख0नं0 45 बाबूनाथ के हिस्से में पैतृक संपत्ति के बटवारे में आया था तभी से उक्त ख0नं0 45 पर बाबूनाथ का ही कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त ख0नं0 की आराजी को बाबूनाथ ही जोतता है। वर्तमान में मौके पर उक्त ख0नं0 पर बाबूनाथ पुत्र भोलूनाथ ही काबिज हैं। उक्त जानकारी ग्रामवासीयान आटोन द्वारा दी गई।

7. अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रकरण का उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है– **तनकी नं0 1**– आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित कुल आराजीयात 53 बीघा 14 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की थी और है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम आटोन में वादी के दादाजी बालानाथ के

खाते कुल 53 बीघा 14 बिस्वा आराजी खाते दर्ज थी जिसके साबिक ख0नं0 68 रकबा 9 बीघा, ख0नं0 75 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 27 मिन रकबा 33 बीघा, ख0नं0 908 रकबा 4 बिस्वा व ख0नं0 98 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा थे। बालानाथ के केवल 3 पुत्र – किशननाथ (फौत), हीरानाथ (लाऔलाद फौत) एवं भोलूनाथ (फौत) थे। मृतक भोलूनाथ के तीन पुत्र– चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र, गोपाल व वादी बाबूलाल है। चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र को मृतक हीरानाथ द्वारा अपने जीवनकाल में गोद लिया गया था। अतः वादी के दादाजी की पैतृक संपत्ति कुल किता 5 कुल रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा में किशननाथ, हीरानाथ व भोलूनाथ का 1/3–1/3 हिस्सा अर्थात करीब 18 –18 बीघा आराजी बटवारे में आयी थी। कुल आराजी में से वादी को बटवारे में हिस्सा 1/6 यानी साबिक ख0नं0 27 मिन की करीब 9 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी और वादी तभी से उक्त 9 बीघा आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी का 40–50 वर्ष पूर्व में ही पारिवारिक बंटवारा हो चुका था और उसी पारिवारिक बटवारे के अनुसार मोतीनाथ पुत्र किशन नाथ ने अपने हिस्से की कृषि आराजी साबिक ख0नं0 27 मिन रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.1972 को बजरंगलाल पुत्र सूरजमल धाकड को, साबिक ख0नं0 27 हाल ख0नं0 45/1860 रकबा 0.26 है0 का बेचान बजरंगलाल पुत्र सूरजमल धाकड को और साबिक ख0नं0 68 रकबा 9 बीघा का बेचान जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 27.04.1972 से जगदीश पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड को कर दिया था। उक्त 16 बीघा 13 बिस्वा आराजी के हाल ख0नं0 47 रकबा 2.43 है0 क्रेता बजरंगलाल पुत्र सूरजमल धाकड एवं 9 बीघा हाल ख0नं0 96 रकबा 1.40 है0 क्रेता जगदीश पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड के खाते दर्ज हो चुकी है। इसी प्रकार रामचन्द्र पुत्र चन्दालाल ने भी बटवारे में प्राप्त अपने हिस्से की कृषि आराजी साबिक ख0नं0 27 मिन रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा हाल ख0नं0 45/1869 रकबा 1.33 है0 का बैचान नन्दकिशोर, रामचरण पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी भैंसडा को जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1998 को कर दिया था जो वर्तमान में क्रेता नन्दकिशोर, रामचरण पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी भैंसडा के खाते दर्ज है। चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र के हिस्से की आराजी साबिक ख0नं0 75 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा हाल ख0नं0 107 रकबा 1.42 है0 चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र के वारीसान प्रतिवादी क्रम 8 ता 10 के खाते दर्ज है। उक्त पैतृक संपत्ति का साबिक ख0नं0 98 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा हाल ख0नं0 136 रकबा 0.42 है0 आराजी गोपालनाथ के वारीसान प्रतिवादी क्रम 6 व 7 के खाते दर्ज है। इस प्रकार वादी के हिस्से व कब्जा काश्त की आराजी साबिक ख0नं0 27 मिन रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा हाल ख0नं0 45 रकबा 1.36 है0

आराजी पर प्रतिवादी क्रम 11 के कार्मिकों द्वारा गलत तरीके से वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण का भी सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज कर दिया है जो कि विधि विरूद्ध होने से सुधार किये जाने योग्य है।

अभिभाषक वादी द्वारा आगे कथन किया गया कि **उक्त पैतृक आराजी 53 बीघा 14 बिसवा में से प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिताजी मोतीनाथ पुत्र किशननाथ के हिस्से में केवल 18 बीघा आराजी बटवारे में आई थी जबकि उसके द्वारा करीब 26 बीघा भूमि का अवैध रूप से बैचान किया जा चुका है।** इस प्रकार मोतीनाथ द्वारा अपने हिस्से से करीब 8 बीघा भूमि का अधिक बैचान कर दिया था जो कि विधि विरूद्ध था। प्रतिवादी क्रम 6 व 7 ने भी अपने जवाब दावा में वादी के वाद पत्र एवं अनुतोष को अधिकांशतः स्वीकार किया है और शेष बिन्दु भी स्पष्टतः अस्वीकार नहीं किया है जबकि सीपीसी0 के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे को स्पष्टतः एवं विशेषतः अस्वीकार किये जाने पर ही तनकीयात कायम किये जा सकते है। प्रतिवादी क्रम 6 व 7 ने केवल अपने खाते की आराजी ख0नं0 136 रकबा 0.42 है0 आराजी पर निर्बाध कब्जा काश्त चले आने के कारण वादी ख0नं0 136 की आराजी पर कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः वादी का वाद स्वकार किया जाकर ग्राम आटोन के खसरा नम्बर 45 रकबा 1.36 है0 आराजी से सभी प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें और प्रतिवादीगण को वादी के शांतीपूर्ण कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

अभिभाषक वादी के उपरोक्त बहस का अभिभाषक प्रतिवादी 8 ता 10 द्वारा विरोध करते हुए कथन किया कि ग्राम आटोन की विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता मोतीनाथ द्वारा बेची गयी आराजी के क्रेताओं और रामचन्द्र उर्फ चन्दालाल द्वारा बेची गई आराजी के क्रेताओं को वाद में वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने से उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वाद खारिज फरमाया जावें। अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा आगे तर्क किया कि प्रतिवादीगण 1 ता 5 व 8 ता 10 विवादित आराजी के रिकॉर्डेड सहखातेदार होने से वादी का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 5 का हिस्सा पृथक कर रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 8 ता 10 की उपरोक्त बहस के परपेक्ष्य में जवाब दावा, प्रतिवाद पत्र, दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम आटोन की जमाबन्दी संवत 2006 से 2009, 2010 से 2013 एवं 2014 से 2017 प्रदर्श 4 से 6 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 27(छतरीवाला) रकबा 33 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 2680/79 – 80 – 83(महुवावाला) रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2281/819(बाड़ा) रकबा 5 बिस्वा,

खसरा नम्बर 2950/83(मेर) रकबा 8 बिस्वा, खसरानम्बर 3014/777 –778(टूकड़ी) रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 98 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 54 बीघा 6 बिस्वा आराजी बालानाथ पुत्र ग्यारसीनाथ जाति नाथ निवासी आटोन के खाते दर्ज रिकॉर्ड थी। खातेदार बालानाथ की मृत्यु के बाद विवादित आराजी उसके तीनों पुत्र किशननाथ, हीरानाथ व भोलूनाथ के खाते दर्ज हुई।(प्रदर्श–6, 7 व 8 के अनुसार)। मोतीनाथ, हीरानाथ व भोलूनाथ की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 व भोलूनाथ– हीरानाथ के वारिसान के खाते दर्ज हुई थी। चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रम 8 ता 10 व गोपालनाथ की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रम 6 व 7 के खाते दर्ज हुई है। इस प्रकार ग्राम आटोन की उक्त आराजी मृतक खातेदार बालानाथ पुत्र ग्यारसीनाथ के खाते दर्ज थी जो उनकी मृत्यु के बाद उसके वारिसानों के एवं उनकी मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हुई है। अतः विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। **प्रतिवादीगण 1 ता 10 ने अपने जबावदाबा में कहीं भी इस तथ्य का विरोध नहीं किया है कि ग्राम आटोन की कुल आराजी 54 बीघा 6 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति नहीं है।**

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 1वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 2</u>– आया चन्दालाल उर्फ रामचन्द हीरानाथ के वादी गोद गया था तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 के पिता मोतीलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान कर दिया इसी तरह से हीरानाथ के दत्तक पुत्र चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र भी अपना हिस बेचान कर चुका है। इसी तरह से गोपाल द्वारा भी अपना हिस्सा बेचान कर दिया। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम आटोन की उक्त 53 बीघा 14 बिस्वा आराजी का 40–50 वर्ष पूर्व में ही पारिवारिक बंटवारा हो चुका था और उसी पारिवारिक बटवारे के अनुसार मोतीनाथ पुत्र किशन नाथ ने अपने हिस्से की कृषि आराजी साबिक ख0नं0 27 मिन रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा का बेचान जरिये **रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.1972** को बजरंगलाल पुत्र सूरजमल धाकड को, साबिक ख0नं0 27 हाल ख0नं0 45/1860 रकबा 0.26 है0 का बेचान बजरंगलाल पुत्र सूरजमल धाकड को और साबिक ख0नं0 68 रकबा 9 बीघा का बेचान जरिये **रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 27.04.1972** से जगदीश पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड को कर दिया था। उक्त 16 बीघा 13 बिस्वा आराजी के हाल ख0नं0 47 रकबा 2.43 है0 क्रेता बजरंगलाल पुत्र सूरजमल धाकड एवं 9 बीघा हाल ख0नं0 96 रकबा 1.40 है0 क्रेता जगदीश पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड के खाते दर्ज हो चुकी

है। इसी प्रकार रामचन्द्र पुत्र चन्दालाल ने भी बटवारे में प्राप्त अपने हिस्से की कृषि आराजी साबिक ख0नं0 27 मिन रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा हाल ख0नं0 45/1869 रकबा 1.33 है0 का बैचान नन्दकिशोर, रामचरण पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी भैंसडा को जरिये **रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1998** को कर दिया था जो वर्तमान में क्रेता नन्दकिशोर, रामचरण पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी भैंसडा के खाते दर्ज है। चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र के हिस्से की आराजी साबिक ख0नं0 75 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा हाल ख0नं0 107 रकबा 1.42 है0 चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र के वारीसान प्रतिवादी क्रम 8 ता 10 के खाते दर्ज है। उक्त पैतृक संपत्ति का साबिक ख0नं0 98 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा हाल ख0नं0 136 रकबा 0.42 है0 आराजी गोपालनाथ के वारीसान प्रतिवादी क्रम 6 व 7 के खाते दर्ज है। अभिभाषक वादी द्वारा आगे कथन किया कि आटोन की आराजी साबिक खसरा नम्बर 27 मि. रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 45 रकबा 1.36 है0 आराजी तभी से वादी के हिस्से व निरनतर कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त ही नहीं रहा।

अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा अभिभाषक वादी की उक्त बहस का कोई स्पष्ट विरोध नहीं करते हुए कथन किया कि वादी द्वारा क्रेताओं को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद को खारिज फरमाया जावें।

अभिभीषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस के परिपेक्ष्य में वादपत्र, जबावदावा, प्रतिवाद पत्र, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09/05/1972 प्रदर्श–16 के अनुसार स्पष्ट है कि ग्राम आटोन की साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा आराजी का मोतीलाल पुत्र किशननाथ द्वारा सात हजार पांच सौ रूप्ये में बजरंगलाल पुत्र सूरजमल धाकड़ को बेचान किया गया था। ग्राम आटोन तहसील अटरू के नामांतकरण पंजीका की प्रविष्टी संख्या 285 प्रदर्श–17 के अनुसार मोतीनाथ पुत्र किशननाथ द्वारा अपने हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 9 बीघा का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जगदीष पुत्र बजंरगलाल धाकड़ को बेचान किया गया और उक्त बेचान का नामांतकरण तहसीलदार अटरू द्वारा दिनांक 27/04/1972 को तस्दीक किया गया। इसी प्रकार ग्राम आटोन की नामांतकरण पंजिका की प्रविष्टी संख्या 129 प्रदर्श–20 के अनुसार खातेदार प्रतिवादी क्रम 8 ता 10 द्वारा अपने हिससे की आराजी खसरा नम्बर 107 रकबा 1.42 है0 व 45/1869 रकबा 1.33 है0 में से खसरा नम्बर 45/1869 रकबा 1.33 है0 का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23/06/1998 से क्रेता नन्दकिशोर, रामचरण पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार को किया गया। जिसका

नामांतकरण तहसीलदार अटरू द्वारा दिनांक 28/03/2000 को तस्दीक किया गया। इस प्रकार प्रदर्श–16, प्रदर्श–17, प्रदर्श–18, प्रदर्श–20, प्रदर्श–23, प्रदर्श–11, प्रदर्श–12, प्रदर्श–13 के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है कि प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 के पिता मोतीलाल ने करीब 24 बीघा भूमि बैचान एवं चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र भी अपना हिस्से की करीब 8 बीघा 9 बिस्वा आराजी का बेचान कर दिया है। मृतक हीरानाथ द्वारा चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र को गोद लिया गया था या नहीं इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। साक्ष्यवादी पी.डब्ल्यू 1 बाबूलालनाथ, पी.डब्लयू 2 परशरामनाथ व पी.डब्ल्यू 3 परमानन्द मीणा द्वारा अपने सशपथ बयानों में स्वीकार किया की प्रतिवादी क्रम 1 ता 5, 6 व 7 के पिता, 8 व 10 के पिता रामचन्द्र ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान कर चूके है और रामचन्द्र उर्फ चन्दालाल को मृतक हीरानाथ द्वारा लाओलाद होने से गोद लिया गया था।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 2 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3– आया वादी के अलावा सभी सहखातेदारान द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया है उनका नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 449 का ख0नं0 45 का रकबा 1.36 है0 में से खातेदारान का नाम हटवाकर अपने नाम उक्त आराजी खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सबित करने का भार वादी पर था। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया था कि सेटलमेंट से पूर्व की जमाबन्दीयों में वादी के दादाजी व प्रतिवादीगण की दादाजी/परदादाजी बालानाथ के खाते की ग्राम आटोन की 53 बीघा 14 बिसवा आराजी में उनके तीनों पुत्रों किशननाथ, हीरानाथ व भोलूनाथ का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था। अर्थात तीनों पुत्रो के खाते करीब 18–18 बीघा भूमि हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसमें से किशननाथ के पुत्र मोतीनाथ ने अपने साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा आराजी का मोतीलाल पुत्र किशननाथ द्वारा सात हजार पांच सौ रूप्ये में बजरंगलाल पुत्र सूरजमल धाकड़ को रजिस्टर्ड व्रिकय पत्र दिनांक 09/05/1972 से बेचान किया गया था और ग्राम आटोन तहसील अटरू के नामांतकरण पंजीका की प्रविष्टी संख्या 285 प्रदर्श–17 के अनुसार मोतीनाथ पुत्र किशननाथ द्वारा अपने हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 9 बीघा का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जगदीष पुत्र बजंरगलाल धाकड़ को बेचान किया गया और उक्त बेचान का नामांतकरण तहसीलदार अटरू द्वारा दिनांक 27/04/1972 को तस्दीक किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिताजी **मोतीनाथ ने अपने हिस्से में 18 बीघा आराजी होते हुए भी 25 बीघा 13 बिस्वा आराजी का**

बेचान वर्षों पूर्व कर दिया था। प्रतिवादी क्रम 8 ता 10 ने अपने हिस्से की आराजी में से खसरा नम्बर 45/1869 रकबा 1.33 है0 का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23/06/1998 से क्रेता नन्दकिशोर, रामचरण पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार को कर दिया है और साबिक खसरा 75 हाल खसरा नम्बर 107 रकबा 1.42 है0 आराजी वर्तमान में पृथक से खाते दर्ज है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 8 ता 10 की करीब 18 बीघा आराजी हो जाती है।

साबिक खसरा नम्बर 27 मि. हाल खसरा नम्बर 45/1860 रकबा 0.27 है0 का बेचान भी प्रतिवादीगण द्वारा बजरंगलाल पुत्र सूरजमल धाकड़ को कर दिया था। जो वर्तमान में बजरंगलाल के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक खसरा नम्बर 98 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 136 रकबा 0.42 है0 गोपालनाथ के वारिसान प्रतिवादी क्रम 6 व 7 के खाते वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड है। गोपालनाथ ने भी अपने हिस्से की शेष आराजी का बेचान कर दिया था। साबिक खसरा नम्बर 908 रकबा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1358 रकबा 0.03 है0 वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे में है। अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण के दादाजी/परदादाजी बालानाथ की कुल 53 बीघा 14 बिस्वा आराजी में से वादी को प्राप्त 1/6 हिस्सा यानि करीब 8 बीघा 9 बिस्वा आराजी साबिक खसरा नम्बर 27 मि. हाल खसरा नम्बर 45 रकबा 1.36 है0 ही शेष बचा है जो बटवारें में वादी को प्राप्त हुआ था और तभी से वादी लगातार कब्जे काश्त में है।

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 8 ता 10 ने अभिभाषक वादी की उक्त बहस का कोई स्पष्ट विरोध नहीं किया।

अभिभीषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस के परिपेक्ष्य में वादपत्र, जबावदावा, प्रतिवाद पत्र, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तनकी नं.0 1 व 2 के विवेचन व निर्णयन का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी क्रम 6 व 7 ने तथा प्रतिवादी 8 ता 10 ने अपने जबावदाबा में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 8 बीघा 9 बिसवा हाल खसरा नम्बर 45 पर वादी के कब्जा काश्त को स्वीकार किया है। प्रतिवादी क्रम 6 व 7 ने केवल अपने हिस्से की शेष आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 0.42 है0 को छोड़कर किसी भी भूमि पर कोई आपत्ति पेश नहीं की है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक रजिस्टर्ड व्रिकय पत्र दिनांक 09/05/1972 तथा दिनांक 27/04/1972 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता मोतीलाल ने करीब 25 बीघा 13 बिस्वा आराजी का बेचान कर दिया जबकि बालानाथ की मृत्यु के बाद उसके हिस्से में केवल 1/3 भाग यानि करीब 18 बीघा आराजी ही दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही

थी। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता मोतीनाथ ने अपने हिस्से से भी अधिक आराजी का वर्षो पूर्व बेचान कर दिया है। अतः शेष बची आराजी साबिक खसरा नम्बर 27 मि. हाल खसरा नम्बर 45 रकबा 1.36 है0 वादी के हिस्से की है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 8 ता 10 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23/06/1998 से अपने हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 45/1869 रकबा 1.33 है0 का बेचान कर चुके है।

तहसीलदार अटरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 14/10/2022 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि ग्राम आटोन की आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 1.36 है0 वादी बाबूनाथ पुत्र भोलूनाथ को बटवारे में प्राप्त हुई थी और तभी से बाबूनाथ का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तनकी नं0 1 व 2 के निष्कर्ष के आधार पर तनकी नं0 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4– आया प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 का राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा काबिज है इस वजह से विभाजन किया जाकर 1.36 है0 में से 1/2 हिस्सा प्रति0 क्रम 1 लगा 5 के अलग से खाता दर्ज किया जावे तथा वादी को पाबन्द किया जावे। इसे साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 पर था। तनकी नं0 1, 2 व 3 के विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 अपने हिस्से से अधिक यानि 25 बीघा 13 बिस्वा भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर चुके है और इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का कानुनन कोई हिस्सा शेष नहीं बचता है, केवल राजस्व कार्मिकों की त्रुटिवश विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज होना साबित होता है। अतः तनकी न. 1 ता 3 के विवेचन व विशलेषण के आधार पर तनकी नं0 4 प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5– आया ख0नं0 136 का रकबा 0.42 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 6, 7 के स्वामित्व एवं कब्जे की है जिस पर वादी कोई अनुतोष नहीं प्राप्त कर सकता है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रविादी क्रम 6 व 7 पर था। ग्राम आटोन की जमाबन्दी संवत 2014 से 2017 प्रदर्श–6 के अनुसार विवादित आराजी हीरानाथ, भोलूनाथ पुत्रान बालानाथ एवं मोतीनाथ पुत्र किशनानाथ के बाट बराबर दर्ज रिकॉर्ड थी। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 136 गोपालनाथ पुत्र भोलूनाथ, पार्वती पत्नि भोलूनाथ, मोतीनाथ पुत्र किशनानाथ व रामचन्द्र पुत्र भोलूनाथ की सहखातेदारी में दर्ज है। वादी ने अपने वादपत्र में विवादित आराजी खसरा नम्बर 136

रकबा 0.42 है0 के संबंध में कोई अनुतोष क्लेम नहीं किया है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 व 8 ता 10 ने भी अपने जवाबदावे, प्रतिवाद पत्र में खसरा नम्बर 136 पर कोई क्लैम नहीं किया है। अभिभाषक वादी ने उक्त खसरे नम्बर 136 के संबंध में कोई बहस भी पेश नहीं की। अतः तनकी न. 5 प्रतिवादी क्रम 6 व 7 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में ग्राम आटोन की विवादित आराजी ख0नं0 45 रकबा 1.36 है0 पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायहित में स्वीकार किये जाने और प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का प्रतिवाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 188 आर. टी.एक्ट स्वीकार एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाता है। ग्राम आटोन की विवादित आराजी ख0नं0 45 रकबा 1.36 है0 सम्पूर्ण भूमि पर अन्य सभी सहखातेदारों/प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के नाम हटाकर वादी बाबूलाल पुत्र भोलूनाथ जाति नाथ निवासी आटोन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **19/10/2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 136/06 **दायर दिनांकः 09/11/2006**

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र भोलूनाथ जाति नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. प्रेम आयु 35 वर्ष पुत्र मोतीनाथ जाति नाथ निवासी लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. रामेश्वर आयु 30 वर्ष पुत्र मोतीनाथ निवासी सांगोद जिला कोटा राज0।
3. देवीशंकर आयु 23 वर्ष पुत्र मोतीनाथ निवासी सांगोद जिला कोटा राज0।
4. भूरी बाई आयु 26 वर्ष पुत्री मोतीनाथ निवासी सांगोद जिला कोटा राज0।
5. धन्नीबाई बेवा मोतीनाथ निवासी सांगोद सी0ओ0 देवीशंकर पुत्र मोतीनाथ निवासी सांगोद जिला कोटा राज0।
6. जगदीश आयु 31 वर्ष पुत्र गोपाल जाति नाथ निवासी फलिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां।
7. अयोध्या बाई बेवा गोपाल जाति नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
8. बृजमोहन आयु 28 वर्ष पुत्र चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र जाति नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. मुरली आयु 25 वर्ष पुत्र चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र जाति नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
10. गुलाब बाई बेवा चन्दालाल उर्फ रामचन्द्र जाति नाथ निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 188 आर टी एक्ट

बहाजिर :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री शरद कुमार शर्मा प्रति0 क्रम 1 लगा 5
विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी प्रति0 क्रम 6 लगा 7
विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल प्रति0 क्रम 8 लगा 10

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम आटोन की विवादित आराजी ख0नं0 45 रकबा 1.36 है0 सम्पूर्ण भूमि पर अन्य सभी सहखातेदारों/प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के नाम हटाकर वादी बाबूलाल पुत्र भोलूनाथ जाति नाथ निवासी आटोन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.10..2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)